FAX

POST

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17–कानूनगो (संविदा) 05 / 2012.–1755

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीणा, भा०प्र०से०
सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
नालन्दा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगुसराय,
लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सीवान, पूर्णिया, कटिहार, मोतिहारी।

पटना, दिनांक :– 05/11/12

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के नियंत्रणाधीन बन्दोबस्त कार्यालयों के लिये पदाधिकारियों / कर्मचारियों के सृजित पदों के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु बन्दोबस्तवार पदों का आवंटन एवं दिशा–निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 को 01 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त होने के फलस्वरूप विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम को समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने के उच्च स्तरीय निर्णय के आलोक में बन्दोबस्त कार्यालयों के लिये पदाधिकारियों / कर्मचारियों के सृजित पदों के विरूद्ध परिशिष्ट–1 के अनुसार संविदा पर नियोजन हेतु बन्दोबस्तवार पदों का आवंटन किया जाता है।

अनुलग्नक के क्रमांक–1 से 2 के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पदस्थापन किया जायगा। क्रमांक–3 एवं 4 पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अनुशंसित सूची से बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा संविदा पर नियोजन की कार्रवाई की जायगी। क्रमांक–5 से 11 तक के पदों पर बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा बन्दोबस्त स्तर पर गठित चयन समिति के अनुशंसा पर नियुक्ति की जायगी।

मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश :–

(1) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या–1574 दिनांक 01.10.2012 द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–3 (भागलपुर के संदर्भ में धारा–3 के साथ–साथ धारा–4) के अधीन बिहार के 13 जिलों के कुल 189 अंचलों में सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) समयवद्ध अवधि में संचालित किया जायगा और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जायगा।

कृ०पृ०उ०

(2) प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल 13 जिलों में यथा नालन्दा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सिवान, पूर्णियाँ, कटिहार एवं मोतिहारी में कार्यक्रम सम्पन्न किया जायगा।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2401 दिनांक 18.07.2007 एवं पत्रांक–2804 दिनांक 29.03.2010 के आलोक में संविदा पर नियोजन की कार्रवाई की जायगी।

(4) सृजित पदों के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 458 दिनांक 30.09.2002 एवं पत्रांक–456 दिनांक 30.09.2002 द्वारा निर्गत आदर्श रोस्टर बिन्दु का पालन किया जायगा यह नियोजन अधिकतम एक वर्ष के लिये होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जाएगा।

(5) भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चिन्हित पूर्व के कार्यरत बल सभी अराजपत्रित पद शामिल किया गया है।

(6) अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता होने पर कार्य के बदले पारिश्रमिक (उजरत दर पर) नियोजन बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बन्दोबस्त स्तर पर गठित कमिटि की चयन एवं अनुशंसा पर की जायगी।

(7) **"माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में बन्दोबस्त एवं चकबन्दी कार्यालयों में अस्थायी रूप से या अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों/निगम बोर्ड में कार्यरत/छटनी ग्रस्त योग्यताधारी कर्मियों/उजरत भोगी कर्मियों को अनुभव के आधार पर विज्ञापन के शर्त्तों के अनुसार प्राथमिकता दी जायगी।"**

(8) संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बन्दोबस्त पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार आवश्यक पद निदेशालय स्तर से संबंधित बन्दोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराया जायगा। सर्वप्रथम अमीन/सफाई मोहर्रिर के लिए पैनल तैयार कर लिया जाए।

(9) साक्षात्कार उन्हीं पदों के लिये जायेंगे जहाँ टंकण/अमानत कार्यों की जानकारी/लिखावट की सफाई एंव शुद्धता की जाँच या वाहन या किसी यंत्र को चलाने की आवश्यकता या शारीरिक रूप से सक्षम होने की आवश्यकता होगी। अमीन संवर्ग के नियोजन के पूर्व अमानत योग्यता की जाँच बन्दोबस्त पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायगी।

कृ0पृ0उ0

अमानत योग्यता का मापदण्ड निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :–

क्रम सं0	मापदण्ड (माप मीटर)	अधिकतम प्राप्तांक	मापदण्ड के निर्धारण हेतु न्यूनतम प्राप्तांक
1.	फिल्ड मैजरमेन्ट बुक (FMB) के आधार पर मानचित्र तैयार करना।	10	प्रत्येक मापदण्ड में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 70% प्राप्तांक अनिवार्य है।
2.	मानचित्र के आधार पर (FMB) तैयार करना।	10	
3.	मानचित्र में खेसरा का रकवा निकालना।	10	
4.	सरजमीन पर खेसरा/भू–खण्ड की पैमाईश।	10	
5.	अन्य कार्यों यथा मानचित्र में ग्रीड झंडी, सर्वे चिन्ह का पहचान एवं उपयोगिता बताना।	10	
	कुल योग :–	**50**	

(10) बन्दोबस्त कार्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बन्दोबस्त स्तर पर गठित समिति द्वारा नियोजन की कार्रवाई सम्पन्न की जायगी। बन्दोबस्त स्तरीय समिति हेतु संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। जिसके द्वारा चयनित/अनुशंसित पैनल से नियोजन की कार्रवाई की जायगी।

चयन समिति का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :–

(i) बन्दोबस्त पदाधिकारी – अध्यक्ष।

(ii) वरीय प्रभारी पदाधिकारी – सदस्य।

(iii) जिला कल्याण पदाधिकारी – सदस्य।

(iv) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनु0 जाति/जनजाति के एक प्रतिनिधि – सदस्य।

(v) वरीयतम सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी – सदस्य सचिव।

(vi) वरीयतम अंचल निरीक्षक–सह–कानूनगो – सदस्य।

(11) बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संविदा के आधार पर नियोजन) नियमावली, 2012 (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के नियमावली पर विधि विभाग की विधिक्षा प्राप्त कर ली गई है। नियमावली बनाने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। नियोजन के पूर्व की कार्रवाई तत्क्षण प्रारम्भ की जाय।

(12) बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम को सम्पूर्ण बिहार में तीन वर्षों के समय सीमा के अन्तर्गत सम्पन्न किये जाने संबंधी उच्च स्तरीय निर्णय के आलोक में संविदा पर नियोजन हेतु विभिन्न पदों के लिये समेकित रूप से विज्ञापन भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा विज्ञापित की जा चूकी है। आवेदन पत्र उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय में प्राप्त कर डाटा इन्ट्री का कार्य कराया जा रहा है। प्राप्त आवेदन पत्रों को कम्प्यूटराईज डाटा बेस तैयार करा कर सूची हार्ड डिस्क एवं सॉफ्ट डिस्क के माध्यम से सभी मूल आवेदनों के साथ सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायगा। विज्ञापन में दिये गये अहर्त्ता एवं शर्त्त पूर्ववत रहेगा। प्राप्त पैनल से आपके जिले में रिक्ति के अनुसार संविदा पर नियमानुसार चयन करेंगे। संविदा पर चयन की नियमावली सरकार के विचाराधीन है तथा शीघ्र ही अनुमोदन होने के प्रत्याशा में कार्रवाई करना है। नियमावली पर सामान्य प्रशासन विभाग का अनुमोदन एवं विधि विभाग की विधिक्षा प्राप्त हो चुकी है।

विश्वासभाजन

Hkm 5/11/2012

(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक :–17–कानूनगो (संविदा) 05/2012.–1755 **पटना, दिनांक** :– 05/11/12

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/समान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Hkm 5/11/2012

(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव–सह– निदेशक

ज्ञापांक :–17–कानूनगो (संविदा) 05/2012.–1755 **पटना, दिनांक** :– 05/11/12

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी/समाहर्त्ता/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना–7/सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ प्रेषित।

Hkm

(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव–सह–निदेशक

[illegible]ार विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत बंदोबस्त कार्यालयों के लिए पदाधिकारियों/कर्मचारियों के सृजित पदों के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु बंदोबस्तवार पदों का आवंटन सूची।

प्रथम चरण

कुल जिला – 13 कुल अंचल – 189 कुल शिविर – 567

क्र0 सं0	पद का नाम	सृजित पदों की संख्या	कार्यरत बल	रिक्त एवं विज्ञापित पद की संख्या	नालंदा		सारण		भागलपुर		मुंगेर		शेखपुरा		बेगूसराय		लखीसराय		खगड़िया		जमुई		सिवान		पूर्णियाँ		कटिहार		मोतिहारी	
					अंचल शिविर	पदों की संख्या	अंचल शिविर	पदों की संख्या	अंचल शिविर	पदों की संख्या	अंचल शिविर	पदों की संख्या	अंचल शिविर	पदों की संख्या	अंचल शिविर	पदों की संख्या	अंचल शिविर	पदों की संख्या	अंचल शिविर	पदों की संख्या	अंचल शिविर	पदों की संख्या	अंचल शिविर	पदों की संख्या	अंचल शिविर	पदों की संख्या	अंचल शिविर	पदों की संख्या	अंचल शिविर	पदों की संख्या
1	बंदोबस्त पदाधिकारी	13	प्रतिनियुक्ति के आधार पर	13	20 60	1	20 60	1	16 48	1	09 27	1	06 18	1	18 54	1	07 21	1	07 21	1	10 30	1	19 57	1	14 42	1	16 48	1	27 83	1
2	प्रभारी पदाधिकारी	13	प्रतिनियुक्ति के आधार पर	13		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
3	सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी	547	–	547		59		58		45		26		17		51		20		20		29		54		41		47		80
4	कानूनगो सह अंचल निरीक्षण	547	2	545		59		58		45		26		17		51		20		20		29		54		41		47		78
5	प्रधान लिपिक लिपिक	70	37	33		3		3		3		2		2		3		2		2		2		3		3		2		3
6	मोहर्रिर	294	92	202		25		25		10		10		6		20		7		7		10		22		15		15		30
7	प्रारूपक	560	22	538		57		57		45		24		18		51		21		21		27		54		39		45		79
8	अमीन/सर्वेयर	600	17	583		62		62		50		27		18		55		21		21		30		60		42		50		85
9	चालक	16	7	9		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1
10	अनुसेवक जंजीरवाहक	800	180	620		70		70		55		30		20		60		25		25		30		60		42		48		85
11	कम्प्यूटर ऑपरेटर	26	0	26		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2
	कुल योग :-	3486	357	3129		340		338		257		150		102		296		120		120		162		312		228		259		445